

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

पत्रांक : 2219/वाद सं० सी-0595/एस-5/2023

दिनांक: 21.07.2023

श्री राम सिंह क्षेत्री/विशाल डोभाल,
निकट जीत मार्केट, किदुवाला, रायपुर रोड,
देहरादून ।

12

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में भूमि का समतलीकरण करते हुए अवैध प्लॉटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0595/एस-5/2023 योजित किया गया था ।

उपरोक्त वाद में दिनांक 07.07.2022 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी । जिसे स्थल पर दिनांक 08.07.23 को तामिल किया गया ।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि आप द्वारा स्थल पर उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11.07.2022 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी उपस्थित हुए एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्लॉटिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है जिस हेतु विपक्षी द्वारा दिनांक 31.08.2022 को शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 07.01.23 के अनुसार स्थल पर विपक्षी द्वारा उक्त भूमि पर डिमाकेशन का कार्य तथा अन्य विकास कार्य किया जा रहा है । उक्त के क्रम में विपक्षी को मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियां नियत की गयी । किन्तु विपक्षी द्वारा आतिथि तक अपने निर्माण के सम्बन्ध में शमन हेतु ऑनलाईन तलपट मानचित्र/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये । जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है ।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है । इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं ।

--आदेश--

अतः विपक्षी श्री राम सिंह क्षेत्री/विशाल डोभाल, निकट जीत मार्केट, किदुवाला, रायपुर रोड, देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में भूमि का समतलीकरण करते हुए अवैध प्लॉटिंग का कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है । अतः चालानशुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । उक्त अनाधिकृत प्लॉटिंग को दिनांक 28-7-23 को ध्वस्त किया जाना है । आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय । तदनुसार सूचित हो ।

विशाल डोभाल

संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

भेदोक्त

श्री राम सिंह क्षेत्री । विशाल डोभाल का नोटिस एवं कार्य विवरण
श्री विशाल डोभाल + अन्य आदि विवरण

21/7/2023